प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनॉक: 07 मार्च, 2024

विषयः–विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू–उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की इकाइयों एवं प्लेज पार्कों (निजी एम0एस0एम0ई0 पार्कों) को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखे जाने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2022 में परिवर्धन/संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के पत्र संख्या–2/2024/128/18–2–2024/18–2099/116(ल0उ0)/2022 दिनांक 18.01.2024 की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू–उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की इकाइयों एवं प्लेज पार्कों (निजी एम0एस0एम0ई0 पार्कों) को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखे जाने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2022 में परिवर्धन/संशोधन के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 18.01.2024 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally Signed by डी० नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 07-03-2024 18:31:56
Reason: Approved
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

2733160/2024/ -8

US(AK) 88068/क(SH)/24

सं० 240/आठ-8-2024

19-01-2024

संख्या-2/2024/128/18-2-2024/18-2099/116(ल030)/2022

(विनोद शर्मा)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन,
उ० शा०

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 18 जनवरी, 2024

विषय :- विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू-उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की इकाइयों एवं प्लेज पार्कों (निजी एम0एस0एम0ई0 पार्कों) को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखे जाने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 में परिवर्धन/संशोधन के संबंध में।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन्हें प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 प्रख्यापित की गयी है। इसके पूर्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी थी, जिसके प्रस्तर-7.5 में निम्नवत् प्राविधान किया गया था-

"विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू-उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की इकाइयाँ परिवर्तन शुल्क से मुक्त रहेंगी।"

2- उपर्युक्त प्राविधान के क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-812/आठ-8-2018-06विविध/2018 दिनांक 08-06-2018 के माध्यम से "उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-53 तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 के नियम-3 उपनियम(तीन) के अधीन विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि का औद्योगिक में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों एवं औद्योगिक पार्कों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

US(K-S)
23/1/24 आवास-3
23.2.24

(1) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 में परिभाषित औद्योगिक इकाईयों तथा औद्योगिक नीति में वर्णित औद्योगिक पार्क हेतु कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) औद्योगिक इकाई एवं औद्योगिक पार्क की स्थापना/संचालन 05 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(3) उक्त नीति के अधीन स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं औद्योगिक पार्क के निर्धारित प्रयोजन हेतु भूमि के उपयोग की सुविधा अनुमन्य होगी। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में दी गयी छूट स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(5) औद्योगिक पार्क एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा औद्योगिक नीति व उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

3- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 में वर्णित उक्त प्राविधान के अंतर्गत विकास प्राधिकरण वाले क्षेत्रों में स्थापित होने वाली एम.एस.एम.ई. इकाइयों को संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट प्रदान की जा रही थी, परन्तु उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 में उक्त प्राविधान न होने के कारण उद्यमियों को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट नहीं दी जा रही है, जिससे उद्योग लगाने की लागत प्रारंभ से ही काफी बढ़ जाने से उद्यमी उद्यम स्थापना के लिये हतोत्साहित हो रहे हैं।

4- अतः उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 में विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू-उपयोग औद्योगिक श्रेणी में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों एवं प्लेज पार्कों (निजी एम0एस0एम0ई0 पार्कों) को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखने की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर-5 में नये उपप्रस्तर-5.1.17 जोड़ते हुये निम्नवत प्राविधान किया जाता है:-

"5.1.17 विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू-उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम की इकाइयों एवं शासनादेश संख्या-10/2023/016/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 01 फरवरी, 2023 से आच्छादित प्लेज पार्कों (निजी एम0एस0एम0ई0 पार्कों) को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

औद्योगिक इकाइयां/औद्योगिक पार्कों द्वारा सम्बन्धित नीति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में भू-उपभोग परिवर्तन शुल्क में दी गयी छूट स्वतः समाप्त मानी जायेगी।"

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त प्राविधान का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

18.1.2024

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु अपने स्तर से यथावश्यक शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
उप सचिव।